न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/61/2021

दीन मौहम्मद उर्फ दीनू पुत्र इसमाईल जाति मेव निवासी तुसैनी (चॉदन की) तहसील व थाना पुन्हाना जिला नुँह मेवात (हरियाणा)।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन बोलेरो मैक्सी ट्रक ओपन बॉडी आर.जे.10 जीबी 1164 वमुकदमे एफ.आई. आर. संख्या 381/2021 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना पहाडी, भरतपुर।

उपस्थित :-

1. श्री दिलीप कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 08.03.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक ओपन बॉडी आर.जे.10 जीबी 1164 जरिये मुख्त्यारनामा मालिक है। पुलिस थाना पहाडी द्वारा उक्त वाहन को झूठें केस एफ.आई.आर. 381/21 धारा 5/8 आर.बी.एक्ट गोवंश का अवैध परिवहन के अपराध में फंसाया गया है और जब्त वाहन थाना पर में खुले में खडा हुआ है। प्रार्थी के उक्त वाहन से गौवंश का अवैध परिवहन नही किया गया है। प्रकरण सबंधित न्यायालय में विचाराधीन है और ट्रायल जैरकार है। पुलिस थाना को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है, वाहन खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी के जीवनयापन का यही एक मात्र साधन है। प्रार्थी

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन आर.जे.10 जीवी 1164 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना पहाडी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना पहाडी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक ओपन बॉडी आर.जे.10 जीवी 1164 मुख्त्यारनामा आम का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना पहाडी द्वारा झूंठा मुकदमा बनाकर गोवंश के तहत प्राथिमिकी दर्ज की गई है जबकि उक्त वाहन से गौवंश का अवैध परिवहन नही किया गया। वाहन थाने पर खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने की आंशका है तथा प्रार्थी के जीवनयापन करने यही एक मात्र साधन है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने की प्रार्थना की है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि प्रार्थी स्वंय ही उक्त वाहन में मौजूद था जिसमें वाहन का उपयोग गौवंश का अवैध परिवहन करने के लिए किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुख्तयारनामा आम रजिस्टर्ड नही है तथा वाहन में 3 गाय व 2 बछडे थे जिनका वाहन स्वामी के पास रवन्ना या परिमिट नही था। इस प्रकार उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना पहाडी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना पहाडी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक ओपन बॉडी आर.जे.10 जीबी 1164 में तीन गाय व दो बछडी भरी हुई थी, जिनको गौकशी के लिए ले जाना पाया गया है। वाहन मालिक स्वंय ही वाहन में मौजूद था तथा वाहन का गोवंश परिवहन करने का सक्षम प्राधिकारी का परमिट या रवन्ना नही था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में मुख्त्यारनामा आम दिनांक 06.04.2021 तथा बिकीनामा दिनांक 06.04.2021 की प्रति पेश की है जिससे यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि प्रार्थी किस हक से

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

वाहन को सुपुर्दगी में चाहता है, यह सिद्ध करने में असफल रहा हैं। पुलिस द्वारा भी इस बाबत कोई उल्लेख नही किया गया है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके साथ ही प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य या शपथ पत्र पेश नही किया है जिसमें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति न हो। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक ओपन बॉडी आर.जे.10 जीबी 1164 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक ओपन बॉडी आर.जे.10 जीबी 1164 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी पहाडी (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर